न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील / 520 / 2013
GCMS NO- 2017/00072

दायर दिनांकः 06.08.2013

1. करतार कौर पुत्री वीरसिंह जाति मजबीसिख निवासी चक 68 / 1 जीबी तहसील अनूपगढ़
2. अक्को कौर पुत्री वीर सिंह जाति मजबीसिख निवासी चक 68 / 1 जीबी तहसील अनूपगढ़

(अपीलांटस)

बनाम

1. सावित्री देवी बेवा प्रताप सिंह जाति भोभिया (जाट) निवासी चक 68 / 1 जीबी तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र कुमार अधिवक्ता अपीलांट सुरन्द्र सुथार, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री रविन्द्र बालाना, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांकः– 17/3/2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 28.6.2013 के विरूद्व जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट करतार कौर पत्नी व अक्को कौर पुत्रीयान वीरसिंह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) खारिज अस्वीकार कर दिया, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस के पिता वीर सिंह के नाम से चक 68 / 1 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 27 पत्थर न. 263 / 449 किला न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 भूमि है। उक्त भूमि आज भी अपीलांटस के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांटस के पिता का देहान्त हो चुका है लेकिन अतिक्रमी के तौर पर रेस्पो0 संख्या 01 सावित्री देवी बिना किसी अधिकार के अपीलांटस की उक्त भूमि पर काबिज हो गई है जिसे बेदखल किया जावे व अपीलांटस को कब्जा दिलाया जावें क्योंकि अपीलांटस अनुसूचित जाति की सदस्या है तथा रेस्पो0 संख्या 01 गैरअनुसूचित जाति की सदस्या है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 01 को तलब किया। व अप्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें यह कहा गया कि भूमि के मूल आवंटी ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड बेयनामा के जरिये बेचान की हुई है व प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दोनो पक्षो को सुनते हुए [illegible] प्रार्थी / अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून व तथ्यों से परे जाकर मात्र ढेड पं[illegible]ते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयना[illegible] में अंकन ना होने से प्रार्थीया का देखली का प्र[illegible] अस्वीकार किया [illegible] है। जबकि वर्तमान में चालू राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि अपीलांटस के पिता वीरसिंह के नाम आज भी दर्ज है। अपी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 14:51:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पिता वीर सिंह ने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी उक्त वर्णित 25.00 बीघा भूमि बेचान नहीं की व ना ही उक्त भूमि बेचान करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दिया। सावित्री देवी अपीलांटस की उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई मौका कब्जा रिपोर्ट दि 29.5.2013 से होती है। इस तरह अपीलांट अपने पिता की जगह उक्त भूमि के खातेदार टिनेन्ट है व धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र एक खातेदार टिनेन्ट ही पेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को संक्षिप्त कार्यवाही करते हुए बस इतना ही देखना था कि राजस्व रिकार्ड मे भूमि किसके नाम से है व मौका पर कौन काबिज है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपना जैर अपील निर्णय पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार हाजिर आये व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र बलाना उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस के पिता वीर सिंह के नाम से चक 68/1 जीबी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा न. 27 पत्थर न. 263/449 किला न. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 भूमि आज भी अपीलांटस के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांटस के पिता का देहान्त हो चुका है। रेस्पो0 संख्या 01 सावित्री देवी ने बिना किसी अधिकार के अपीलांटस की उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया जिसे बेदखल करने व अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा दिलाया जाने बाबत अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 को तलब किया। अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें यह कहा गया कि भूमि के मूल आवंटी ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड बेयनामा के जरिये बेचान की हुई है व प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दोनो पक्षो को सुनते हुए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून व तथ्यों से परे जाकर मात्र ढेड़ पंक्ति में यह लिखते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय की जा चुकी है इसलिए मात्र जमाबंदी में अंकन ना होने से प्रार्थीया का देखली का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। जबकि वर्तमान में चालू राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि अपीलांटस के पिता वीरसिंह के नाम आज भी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस पंजीकृत बैयनामा को आधार मानकर अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह बैयनामा वीर सिंह पुत्र लालसिंह चौहान सिख बजरिये सहीराम पुत्र रामूराम द्वारा लक्ष्मण पुत्र जैसा व गणपत पुत्र जैसा जाति थोरी साकिन 68/1 जीबी के पक्ष में सम्पादित किया गया है जबकि अपीलांटस के पिता की जाति मजबीसिख है। अपीलांटस के पिता द्वारा अपने जीवन काल में कोई बैयनामा सम्पादित नहीं किया गया है। अपीलांटस का पिता अनुसूचित जाति का सदस्य था जबकि लक्ष्मण व गणपत गैरअनुसूचित जाति के सदस्य थें। यदि अपीलांट्स के पिता द्वारा कोई बैयनामा सम्पादित किया भी गया होता तो केता द्वारा उक्त बेयनामा के आधार पर आज तक राजस्व रिकार्ड में अंकन क्यों नहीं करवाया गया, जबकि उक्त रकबा आज भी वर्तमान में चालू राजस्व रिकार्ड में [illegible] सिंह के नाम आज भी दर्ज है। मौका पर कब्जा भी उक्त केताओं का न हो[illegible]ा 01 सावित्री का है। जिससे यह साबित है रेस्पो01 सावित्री [illegible] जाति के अपीलांटगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है। न्यायिक दृष्टांत [illegible] 2005 (1) पेज 613 की ओर ध्यान

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

दिलाकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटस के पिता वीर सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपना उक्त रकबा बजरिये सहीराम पुत्र रामूराम द्वारा लक्ष्मण पुत्र जैसा व गणपत पुत्र जैसा जाति थोरी साकिन 68/1 जीबी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पादित कर विक्रय कर दी गई थी। उक्त विक्रय की दिनांक से ही विक्रेता वीरसिंह व उसके वारिसान अर्थात अपीलांटस इस रकबा के प्रति हितबद्व नहीं रहे। अपीलांट अनुसार मुझ रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा जैर अपील रकबा पर नाजायज कब्जा किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केता द्वारा या पटवारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाना चाहिए था ना कि अपीलांट द्वारा। भूमि विक्रय किये जाने के बाद उसके समस्त अधिकार केता में आ जाते है और विक्रेता का कोई हक हकूक शेष नही रहता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपना निर्णय उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय बहस की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2068–71 अनुसार जैर अपील रकबा वीर सिंह पुत्र लालसिंह के नाम कलेमेन्ट अलॉटी के तौर पर दर्ज है। अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 के अनुसार अपीलांट के पिता वीर सिंह पुत्र लालसिंह जाति मजहबी सिख ने अपने जीवन काल में ही उक्त रकबा लक्षमण पुत्र जैसा व गनपत पुत्र जैसा को विक्रय कर दिया गया था जबकि एक कलेमेन्ट अलॉटी को उक्त रकबा बेचान करने का अधिकार नहीं था। इसलिए किया गया हस्तांतरण अवैध होने से प्रारम्भिकतः ab intio wrong होने से शुन्य की परिभाषा में आता है। अधिवक्ता रेस्पो0 का यह तर्क है कि जब रकबा विक्रय हो गया था तो विक्रय की दिनांक के बाद विक्रेता व उसके वारिसान का कोई हक हकूक नही रहता तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था क्योकि वे मुताबिक रिकार्ड व रिपोर्ट हल्का पटवारी में अंकित काश्तकार नहीं है। उक्त जैर प्रकरण कृषि भूमि का हस्तांतरण विधि के प्रावधानों के विपारीत किया गया है जिसका लाभ रेस्पोडेंट भी उठाने का कतई अधिकरी नहीं हैं दोनों पक्षकारान के किये गये कृतयों से राज्यहित को प्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हुई है। अतः इस कारण से अपीलांट व रेस्पोर्डेट दोनों जैर अपील भूमि का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 28.06.2013 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आश्य के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में कलेमेन्ट अलॉटी द्वारा किये गये हस्तांतरण के संबंध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर पारित निर्णयों/आदेशों के अनुसरण में पुनः जांच कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। उभय पक्ष दिनांक 24/2/2023 .....को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(सूरतगढ़नगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.04.04 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner